



सिद्धार्थनगर पुलिस



प्रेस नोट दिनांक 20-12-2025 जनपद सिद्धार्थनगर ।

◆ थाना चिल्हिया पुलिस द्वारा 03 नफर वारंटी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

डॉ० अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में, प्रशान्त कुमार प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन, मयंक द्विवेदी क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में राजेश कुमार गुप्ता प्रभारी निरीक्षक थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान वांछित/वारण्टी के क्रम में आज दिनांक 20.12.2025 को वाद सं०-4008/22 धारा-323,504 भा०द०वि० सरकार बनाम गाजे थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर से सम्बन्धित वारंटी गाजे व विफक्कन उर्फ विक्कन पुत्रगण सुरेश निवासीगण भोला परसा थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर तथा वाद सं०-2766/2016 धारा-504,506 भा०द०वि० सरकार बनाम रामनवल थाना चिल्हिया से सम्बन्धित वारंटी रामनवल पुत्र जीते निवासी कटया थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर को गिरफ्तार कर आवश्यक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय भेजा गया ।

वारंटीगम का विवरण :-

- 01.गाजे पुत्र सुरेश निवासी भोला परसा थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 02.विफक्कन उर्फ विक्कन पुत्र सुरेश निवासी भोला परसा थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 03.रामनवल पुत्र जीते निवासी कटया थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

- 01.उ०नि० शारदा प्रसाद थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 02.उ०नि० वीरेन्द्र सिंह यादव थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 03.का० दिनेश यादव थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 04.का० चन्द्रजीत यादव थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर ।

प्रेस नोट दिनांक 20-12-2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆ थाना मिश्रौलिया मिशन शक्ति पुलिस टीम द्वारा पति – पत्नी के आपसी विवाद को सुलझाकर एक परिवार बिखरने से बचाया गया ।

डॉ० अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में प्रशांत कुमार प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन में व पवीन प्रकाश क्षेत्राधिकारी इटवा के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मिश्रौलिया राजेश कुमार तिवारी के नेतृत्व व थाने पर नियुक्त मिशन शक्ति केन्द्र के अथक प्रयास से आज दिनांक 20.12.2025 को विगत 01 वर्ष से आपसी विवाद के कारण अलग-अलग रह रहे पति-पत्नी के बीच सहमति से सुलह समझौता कराकर एक परिवार को बिखरने से बचाया गया ।

मिशन शक्ति पुलिस टीम का विवरण-

01. डॉनि० राम दरश यादव थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर ।
02. आरक्षी सुकेश कुमार थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर ।
03. महिला आरक्षी अनुपम थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर ।

प्रेय नोट दिनांक 20-12-2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆ थाना जोगिया उदयपुर मिशन शक्ति पुलिस टीम द्वारा ग्राम नंदाडीह में चौपाल लगाकर महिलाओं/बालिकाओं को मिशन शक्ति फेज 5.0 व नए कानून के बारे में जानकारी दी गई।

पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर डॉ० अभिषेक महाजन द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा में चलाए जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 20/12/2025 को अपर पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार प्रसाद के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी बांसी रोहिणी यादव जी के कुशल नेतृत्व में व थानाध्यक्ष मीरा चौहान द्वारा मिशन शक्ति व जन चौपाल में नए कानून के अन्तर्गत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के तहत थाना क्षेत्र जोगिया उदयपुर के ग्राम नंदाडीह में महिलाओं/बच्चियों को जनचौपाल एकत्रित कर चौपाल लगाकर बालिकाओं/ महिलाओं नए कानून के बारे में बताते हुए मिशन शक्ति के तहत सरकार के विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दिया गया व जागरूक किया गया जैसे कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, रानी लक्ष्मी बाई बाल एवं महिला सम्मान कोष, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, मातृ शक्ति को सम्बल, निराश्रित महिला पेंशन योजना मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना आदि अन्य योजनाओं से संबंधी जानकारी को बताया गया। मिशन शक्ति फेज 5.0 कार्यक्रम के अंतर्गत बहु बेटी सम्मेलन आयोजित किया गया तथा उनके अधिकार के बारे में बताया गया व उनको जागरूक किया गया। जानकारी देते हुए विभिन्न हेल्पलाइन नंबर- 112 पुलिस आपातकालीन सेवा, 1090 वूमेन पावर हेल्पलाइन, 1076 माननीय मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 108 एंबुलेंस सेवा, 1930 साइबर अपराध हेल्पलाइन, 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन, 102 स्वास्थ्य सेवा, 181 वीमेन हेल्पलाइन, 101 अग्निशमन सेवा के बारे में जानकारी दी गई।

मिशन शक्ति टीम-

1. उ0नि0 आनन्द शाही
2. का0 प्रदीप उपाध्याय
3. म0 का0 किरन बेदी

- ◆ सम्पूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर तहसील बांसी पर जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा जनसुनवाई किया गया ।
- ◆ समस्याओं के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए ।

आज दिनांक 20-12-2025 को जनपद सिद्धार्थनगर के तहसील बांसी में सम्पूर्ण समाधान दिवस (तहसील दिवस) का आयोजन किया गया । जिसमें जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर, उपजिलाधिकारी बांसी व क्षेत्राधिकारी बांसी उपस्थित रहें । तहसील दिवस में प्राप्त शिकायती प्रार्थना-पत्रों के सम्बन्ध में जनता की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना गया एवं उसके निस्तारण हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया । उक्त तहसील क्षक /थाना प्रभारीगण मौजूद रहे । दिवस में राजस्व विभाग के अधिकारी/कर्मचारीगण व तहसील डुमरियागंज क्षेत्र के प्रभारी निरी

प्रेस नोट दिनांक:- 20.12.2025 थाना कठेला समय माता

◆ थाना कठेला समय माता की मिशन शक्ति पुलिस टीम द्वारा पति-पत्नी के आपसी विवाद को सुलझाकर एक परिवार को बिखरने से बचाया गया।

डॉ० अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में प्रशान्त कुमार प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में व मयंक द्विवेदी क्षेत्राधिकारी शोहतगढ़ के कुशल निर्देशन व श्यामदेव प्रसाद प्रभारी थानाध्यक्ष थाना कठेला समय माता के नेतृत्व में मिशन शक्ति केंद्र पुलिस टीम के अथक प्रयास से आज दिनांक 20.12.2025 को श्रीमती खुशबू व उनके पति आकाश के बीच पारिवारिक बातों से हुए मनमुटाव को लेकर दोनों पक्षों की काउंसलिंग की गई उन्हें परिवार और आपसी रिश्तों की अहमियत बताई गई परिणाम स्वरूप दोनों पति-पत्नी आपसी मनमुटाव को समाप्त कर एक साथ हँसी खुशी सुलह कर अपने घर गए और टीम के प्रति आभार व्यक्त करते हुए बताए कि अब हम दोनों के मध्य कोई समस्या नहीं है। इस प्रकार एक परिवार को बिखरने से बचाया गया।

टीम का विवरण -

- 1.उ0नि0नन्हेलाल मिश्रा थाना कठेला समय माता जनपद सिद्धार्थनगरा।
- 2.का०विशाल पासवान थाना कठेला समय माता जनपद सिद्धार्थनगरा।
- 3.का०सुरेश सिंह थाना कठेला समय माता जनपद सिद्धार्थनगरा।
- 4.म0आ०करिश्मा थाना कठेला समय माता जनपद सिद्धार्थनगरा।

प्रेस नोट- दिनांक 20.12.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆ थाना खेसरहा पुलिस द्वारा अपहरण के आरोपी 01 नफर वाँछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

डॉ० अभिषेक महाजन* पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में प्रशान्त कुमार प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन व रोहिनी यादव क्षेत्राधिकारी बांसी के कुशल पर्यवेक्षण अनूप कुमार मिश्र थानाध्यक्ष थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 20.12.2025 को थाना खेसरहा पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 217/2025 धारा धारा 87,142 बीएनएस से सम्बन्धित वाँछित अभियुक्त कल्लु उर्फ नवीहसन पुत्र शौकत अली निवासी छोटा बेलउख थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर को बांसी बखिरा मार्ग पर मरवटिया मोड़ के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. कल्लु उर्फ नवीहसन पुत्र शौकत अली निवासी छोटा बेलउख थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

01. उ0नि० रवि प्रताप सिंह सेगर थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर।
02. उ0नि० गिरिजा सुवन श्रीवास्तव थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर।
03. हे०का० सर्वेश यादव थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर
04. हे०का० धर्मेन्द्र कुमार थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर

प्रेस नोट दिनांक 20.12.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆थाना मोहाना पुलिस द्वारा धार्मिक स्थलों/सार्वजनिक स्थानों पर लगे अवैध लाउडस्पीकर/ध्वनि विस्तारक यंत्रों के विरुद्ध चलाया चेकिंग अभियान ।

डॉ० अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में प्रशान्त कुमार प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर के निर्देशन तथा विश्वजीत सौरयान सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 20/12/2025 को थाना मोहाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र के ग्राम तिलकहना में धार्मिक स्थलों की चेकिंग की गई । चेकिंग के दौरान मन्दिर-मस्जिद व सार्वजनिक स्थानों पर मानक के विपरीत पाये गये लाउडस्पीकर आपसी सहमति से हटवाये गये तथा मानक के अंतर्गत ही लाउडस्पीकर लगवाने की हिदायत दिया गया व मानक से अधिक तेजी से बज रहे लाउडस्पीकर की आवाज को कम कराया गया तथा आवाज मानक के अनुरूप रखने हेतु निर्देशित किया गया ।

प्रेस नोट दिनांक 20.12.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆थाना शोहरतगढ़ पुलिस द्वारा धार्मिक स्थलों/सार्वजनिक स्थानों पर लगे अवैध लाउडस्पीकर/ध्वनि विस्तारक यंत्रों के विरुद्ध चलाया चेकिंग अभियान ।

डॉ० अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में प्रशान्त कुमार प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर के निर्देशन तथा मयंक द्विवेदी क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 20/12/2025 को थाना शोहरतगढ़ पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र के ग्राम अटकोनिया व परसौना में धार्मिक स्थलों की चेकिंग की गई । चेकिंग के दौरान मन्दिर-मस्जिद व सार्वजनिक स्थानों पर मानक के विपरीत पाये गये लाउडस्पीकर आपसी सहमति से हटवाये गये तथा मानक के अंतर्गत ही लाउडस्पीकर लगवाने की हिदायत दिया गया व मानक से अधिक तेजी से बज रहे लाउडस्पीकर की आवाज को कम कराया गया तथा आवाज मानक के अनुरूप रखने हेतु निर्देशित किया गया ।

◆ यातायात पुलिस द्वारा विशेष अभियान के तहत कुहरो से बचाव हेतु रिफ्लेक्टर टेप लगाने के साथ-साथ चार पहिया वाहन मे सीटबेल्ट का प्रयोग न करना एवं बिना हेलमेट दो पहिया चलाना / गलत दिशा मे वाहन चलाने आदि के विरुद्ध तथा सड़को के किनारे अवैध अतिक्रमण हटवाने की कार्यवाही की गयी ।

आज दिनांक 20.12.2025 को पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर डा० अभिषेक महाजन के आदेश के अनुपालन के क्रम मे, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर प्रशांत कुमार प्रसाद के निर्देशन मे, क्षेत्राधिकारी यातायात सुजीत कुमार राय के कुशल पर्यवेक्षण मे प्रभारी यातायात अमरेश कुमार मय टीम द्वारा साड़ी तिराहा, पावर हॉउस तिराहा, सिद्धार्थ तिराहा, पेट्रोल पम्प तिराहा एवं कस्बा बाँसी आदि स्थानों पर पी० ए० सिस्टम से आम जनमानस को जागरूक किया गया तथा शासन के मंशा के अनुरूप विशेष अभियान के तहत बाँसी-नौगढ़ स्थित पेट्रोल पम्पो पर बिना हेलमेट फ्यूल न देने के आदेश के सम्बन्ध अवगत कराते हुए बिना हेलमेट फ्यूल लेने वालो के खिलाफ M. V. Act. के तहत प्रवर्तन की कार्यवाही की गयी एवं कुहरों से बचाव हेतु वाहनों पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाने के साथ-साथ सड़को के किनारे अवैध रूप से खड़े बड़े वाहनों को जिनसे दुर्घटना की प्रबल संभावना/जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही थी उनका M. V. Act के तहत चालान कर हटवाया गया साथ ही चार पहिया वाहनों मे सीटबेल्ट का प्रयोग न करना/बिना हेलमेट दो पहिया वाहन चलाने तथा दो पहिया वाहन पर तीन सवारी, गलत दिशा मे वाहन चलाने वालो का चालान करने समेत कुल 48 वाहनों का चालान करते हुए 61,500/- रुपये शमन शुल्क की कार्यवाही करते हुए प्रत्येक दशा मे यातायात नियमों का पालन करने हेतु प्रेरित किया गया, जिससे होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की संख्या मे भारी कमी लायी जा सके।

प्रेस नोट दिनांक 20-12-2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा सतर्कता एवं सुरक्षा को सुदृढ़ बनाए रखने हेतु थाना सिद्धार्थनगर पुलिस के साथ थाना सिद्धार्थनगर के कर्म्मना सिद्धार्थनगर में पैदल गश्त कर आमजनमानस में सुरक्षा का एहसास कराया गया ।

पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर डॉ० अभिषेक महाजन द्वारा जनपद में कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत आज दिनांक 20-12-2025 को थाना सिद्धार्थनगर पुलिस बल के साथ थाना सिद्धार्थनगर के कर्म्मना सिद्धार्थनगर में पैदल गश्त की गई । पैदल गश्त के दौरान तिराहों/चौराहों व भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में वाहनों की चैकिंग की गई । साथ ही आमजन से संवाद कर सुरक्षा व्यवस्था का जायज्ञा लिया गया तथा लोगों को शांतिपूर्ण व सुरक्षित माहौल बनाए रखने में पुलिस विभाग का सहयोग करने हेतु प्रेरित किया गया । इस दौरान प्रशान्त कुमार प्रसाद, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर, विश्वजीत सौरयान सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सदर, सुजीत कुमार राय क्षेत्राधिकारी यातायात सहित अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे ।

प्रेस नोट दिनांक 20-12-2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा सतर्कता एवं सुरक्षा को सुदृढ़ बनाए रखने हेतु अपने-अपने थाना क्षेत्रों में पैदल गश्त कर आमजनमानस में सुरक्षा का एहसास कराया गया ।

डॉ० अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में जनपद में सतर्कता एवं सुरक्षा को सुदृढ़ बनाए रखने हेतु आज दिनांक 20.12.2025 को प्रशान्त कुमार प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में जनपद के क्षेत्राधिकारी, प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने सर्किल/थाना क्षेत्रों में पड़ने वाले चिह्नित हॉट स्पॉट (बाजार, रेलवे स्टेशन) पर एवं उसके आस-पास के क्षेत्रों में पैदल गश्त एवं गहन चैकिंग किया जा रहा है तथा आम जनमानस में सुरक्षा का एहसास कराते हुये आपस में सौहार्द बनाये रखने हेतु अपील की गयी ।

◆क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज द्वारा थाना डुमरियागंज का किया गया अर्दली रुम/अपराध समीक्षा गोष्ठी ।

◆सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश ।

बृजेश वर्मा, क्षेत्राधिकारी सर्किल डुमरियागंज द्वारा आज दिनांक 20-12-2025 को थाना डुमरियागंज पर अर्दली रुम/अपराध समीक्षा गोष्ठी कर कानून-व्यवस्था की समीक्षा की गयी तथा प्रभारी निरीक्षक / विवेचकगण को आवश्यक दिशा- निर्देश दिये गये । तत्पश्चात विवेचनाओं के निस्तारण, पुराने मामलों के निस्तारण, जनशिकायत द्वारा प्राप्त प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में कड़े निर्देश दिये गये । शहर व ग्रामीण इलाकों में पैदल गश्त, साइबर अपराध के रोकथाम सम्बन्धी प्रचार-प्रसार, साक्ष्य के आधार पर विवेचनाओं का निस्तारण एवं अभियुक्तों के प्रति वैधानिक कार्यवाही, निरोधात्मक कार्यवाही में गुण्डा अधिनियम, गैंगेस्टर अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने आदि बिन्दुओं पर निर्देश दिया गया । उक्त गोष्ठी के दौरान प्रभारी निरीक्षक डुमरियागंज सहित थाना डुमरियागंज के अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे ।